2017 का विधेयक संख्यांक 72.

[दि नेशनल बैंक फार एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवेलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

1981 का 61

वृहत् नाम का संशोधन ।

2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में "लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों" शब्दों के स्थान पर, "सूक्ष्म उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों, कुटीर

और ग्राम उद्यमों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,--

(क) खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(टक) "सूक्ष्म उद्यम", "लघु उद्यम" और "मध्यम उद्यम" पदों के वही अर्थ होंगे, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में क्रमशः उनके हैं ;'; 2006 का 27

(ग) खंड (थ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में उद्योग और लघु उद्योग तथा हस्तशिल्प" शब्दों के स्थान पर "सूक्ष्म उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों, हस्तशिल्प, हथकरघा" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (न) का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में "मुंबई में" शब्दों के स्थान पर "मुंबई में" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 4 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"परंतु केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त पूंजी को बढ़ाकर तीन खरब रुपए तक कर सकेगी :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करके और अधिसूचना द्वारा उक्त पूंजी को और बढ़ाकर ऐसी रकम कर सकेगी जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे ।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"(2) राष्ट्रीय बैंक की पूंजी, जिसका मूल्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ के ठीक पूर्व की तारीख को बीस करोड़ रुपए आंका गया है, और जिसका अभिदाय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है, ऐसे प्रारंभ पर केंद्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगी :

परंतु राष्ट्रीय बैंक, ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों को, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पूंजी निर्गमित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय कुल प्रतिश्रुत पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक को, केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय बैंक की पूंजी अन्तरण तथा उसमें निहित किए जाने के लिए जिसका अभिदाय

उसे उक्त बैंक द्वारा किया गया है उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिभूत पूंजी के, जिसका मूल्य बीस करोड़ रुपए आंका गया है, अंकित मूल्य के बराबर रकम नकद में देगी ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "लघु उद्योग" शब्दों के स्थान पर "सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 14 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, "लघु उद्योग" शब्दों के स्थान पर "सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (v) में "लघु उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में उद्योगों, ग्राम और कुटीर उद्योगों या उनके, जो हस्तशिल्प और अन्य ग्राम शिल्प में लगे हैं" शब्दों के स्थान पर "ग्राम और कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों या उनके जो हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य ग्राम शिल्प में लगे हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 में, "लघु उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में के उद्योगों, ग्राम और कुटीर उद्योगों और उनको, जो हस्तशिल्प और अन्य ग्राम शिल्प में लगे हैं" शब्दों के स्थान पर "ग्राम और कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों या उनको जो हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य शिल्पों के क्षेत्र में लगे हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) में "लघु उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर के उद्योगों, ग्राम और कुटीर उद्योगों या उनको, जो हस्तशिल्प और अन्य ग्राम शिल्प के क्षेत्र में लगे हैं" शब्दों के स्थान पर "ग्राम और कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म उद्यमों, लघु उद्यमों और मध्यम उद्यमों और उनको जो हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य शिल्पों के क्षेत्र में लगे हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 37क का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 37क की उपधारा (1) में,--

1956 का 1
2013 का 18

(क) परन्तुक के खंड (क) और खंड (ख) में "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में" शब्द, अंक और कोष्ठक" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

1956 का 1
2013 का 18

(ख) स्पस्टीकरण में "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (41) में" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

1956 का 1
2013 का 18

धारा 48 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) में "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 52क का संशोधन ।

1956 का 1
2013 का 18

13. मूल अधिनियम की धारा 52क की उपधारा (1) में "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 1981 में, समेकित ग्रामीण विकास के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्पों और अन्य ग्राम शिल्पों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सहबद्ध आर्थिक क्रियाकलापों के संवर्धन और विकास के लिए उधार तथा अन्य सुविधाएं देने और उनका विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (राष्ट्रीय बैंक) के नाम से ज्ञात एक विकास बैंक की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम अधिनियमित किया गया था ।

2. निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है, अर्थात् :--

(i) उसके व्यय करने संबंधी क्रियाकलापों के लिए, ग्रामीण विकास और रक्षणीय ग्रामीण समृद्धि के संवर्धन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बैंक को समर्थ बनाने हेतु उसे समय-समय पर अतिरिक्त साधारण शेयर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ;

(ii) दीर्घकालिक सिंचाई निधि से संबंधित राष्ट्रीय बैंक की कतिपय विद्यमान प्रतिबद्धताओं और सहकारी बैंकों की पुनर्वित्तपूर्ति सहायता में, जिसके लिए साधारण शेयर का अत्यावश्यक निषेचन अपेक्षित है, वृद्धि करने के लिए ;

(iii) चूंकि राष्ट्रीय बैंक की विद्यमान प्राधिकृत पूंजी पूर्ण रूप से समादत्त हो गई है, इसलिए जब कभी उक्त बैंक के कारबार प्रचालनों के लिए अपेक्षित हो, अतिरिक्त साधारण शेयर निषेचन के लिए केंद्रीय सरकार को समर्थ बनाने हेतु राष्ट्रीय बैंक की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने की आवश्यकता है ;

(iv) राष्ट्रीय बैंक की समादत्त पूंजी का 0.4 प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक धारण करता है और शेष 99.6 प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा धारित किया जाता है तथा इससे भारतीय रिजर्व बैंक की बैंककारी विनियामक और राष्ट्रीय बैंक में के शेयरधारक के रूप में भूमिका के बीच विरोध पैदा होता है ; और

(v) ग्रामीण क्षेत्रों, मध्यम उद्यमों और हथकरघाओं में संभावित नियोजन को राष्ट्रीय बैंक की पुनर्वित्तपूर्ति की परिधि में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है ।

3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात् :--

(क) राष्ट्रीय बैंक की प्राधिकृत पूंजी को पचास अरब रुपए से बढ़ाकर तीन खरब रुपए करने के लिए तथा उक्त रकम को, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, उतना और बढ़ाने के लिए, जितना समय-समय पर आवश्यक समझा जाए, केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए ;

(ख) राष्ट्रीय बैंक में की बीस करोड़ रुपए के भारतीय रिजर्व बैंक के अतिशेष साधारण शेयर का केंद्रीय सरकार को अंतरित करने के लिए ;

(ग) प्रस्तावित विधान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रति निर्देश के संदर्भ में कतिपय खंडों का संशोधन करने के लिए ;

(घ) ऐसे अन्य संशोधनों के लिए, जो पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 मार्च, 2017.

अरूण जेटली

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 5, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे राष्ट्रीय बैंक की प्राधिकृत पूंजी को पचास अरब रुपए से बढ़ाकर तीन खरब रुपए किया जा सके, जिसे ऐसी रकम तक और बढ़ाया जा सकेगा, जो केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके अवधारित करे । विधेयक में, यदि अधिनियमित हो जाता है, उक्त प्रयोजन के लिए संसद् द्वारा प्राधिकृत सम्यक् विनियोग के पश्चात्, केंद्रीय सरकार द्वारा भावी पूंजी निषेचन अनुज्ञात वास्तविक अपेक्षा पर आधारित होगा ।

2. इसमें उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) का, राष्ट्रीय बैंक की ऐसी पूंजी का, जिसका अभिदाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है, केंद्रीय सरकार को अंतरित करने और उसमें निहित करने के लिए और केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बैंक की उक्त प्रतिभूत पूंजी के अंकित मूल्य के बराबर रकम का भारतीय रिजर्व बैंक को संदाय किए जाने का उपबंध करने के लिए, संशोधन करने का भी प्रस्ताव है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित प्रतिभूत पूंजी का अंकित मूल्य बीस करोड़ रुपए आंका गया है जिसका संदाय, यदि प्रस्तावित विधान अधिनियमित और प्रवृत्त हो जाता है तो, भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाना अपेक्षित होगा ।

3. प्रस्तावित विधान के उपबंधों में कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 61) से उद्धरण

* * * * * *

समेकित ग्रामीण विकास के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों, हस्त-शिल्पों और अन्य ग्राम शिल्पों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सहबद्ध आर्थिक क्रियाकलापों के संवर्धन और विकास के लिए उधार तथा अन्य सुविधाएं देने और उनका विनियमन करने के लिए और उनसे संबद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए एक विकास बैंक की, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से ज्ञात होगा, स्थापना करने के लिए अधिनियम

* * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

* * * * * *

(झ) "छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में उद्योग" से छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में औद्योगिक समुत्थान अभिप्रेत है और "छोटे और विकेन्द्रित औद्योगिक समुत्थान" से ऐसा औद्योगिक समुत्थान अभिप्रेत है जिसमें मशीनरी और संयंत्र में विनिधान दो लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अधिक नहीं है जो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विकास का रुख तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

* * * * * *

(ट) "फसलों का विपणन" के अन्तर्गत फसलों का वह प्रसंस्करण है जो कृषि उत्पादकों द्वारा या ऐसे उत्पादकों के किसी संगठन द्वारा विपणन के पूर्व किया जाता है ;

* * * * * *

(थ) "ग्रामीण विकास" से ग्रामीण क्षेत्र का किसी ऐसे क्रियाकलाप के माध्यम से विकास अभिप्रेत है जो ऐसे विकास के लिए सहायक है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सहायक क्रियाकलापों के अन्तर्गत

ग्रामीण क्षेत्र में माल के उत्पादन या सेवाओं के उपबंध से संबंधित क्रियाकलाप तथा कुटीर और ग्राम उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में उद्योग और लघु उद्योग तथा हस्त-शिल्प और ग्राम शिल्प के संवर्धन के लिए क्रियाकलाप हैं ;

(ख) "ग्रामीण क्षेत्र" से किसी ग्राम में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी नगर में समाविष्ट ऐसा क्षेत्र भी है जिसकी जनसंख्या दस हजार से या ऐसी अन्य संख्या से अधिक नहीं है जो रिजर्व बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ;

* * * * * *

(न) "लघु उद्योग" से लघु सेक्टर में के औद्योगिक समुत्थान अभिप्रेत हैं और "लघु सेक्टर में के औद्योगिक समुत्थान" से ऐसा औद्योगिक समुत्थान अभिप्रेत है—

(i) जिसमें मशीनरी और संयंत्र में विनिधान बीस लाख रुपए से या ऐसी उच्चतर रकम से अधिक नहीं है जो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विकास के रुख और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; और

(ii) जो छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में औद्योगिक समुत्थान नहीं है ;

* * * * * *

अध्याय 2

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना और उसकी पूंजी

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना और निगमन ।

3. (1) * * * * *

(3) राष्ट्रीय बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में या अन्य ऐसे स्थान पर होगा जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

* * * * * *

पूंजी ।

4. (1) राष्ट्रीय बैंक की पूंजी एक अरब रुपए होगी :

परन्तु केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करके और अधिसूचना द्वारा उक्त पूंजी को बढ़ाकर पचास अरब रुपए तक कर सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय बैंक की पूंजी का अभिदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा और रिजर्व बैंक द्वारा उस सीमा तक और उस अनुपात में किया जाएगा जो रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित किया जाए :

परंतु राष्ट्रीय बैंक ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों को, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पूंजी निर्गमित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक की सम्मिलित शेयरधारिता किसी भी समय सकल प्रतिश्रुत पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

* * * * * *

6. (1) राष्ट्रीय बैंक का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :— निदेशक बोर्ड ।

* * * * * *

(ख) तीन निदेशक, जो ग्राम अर्थशास्त्र, ग्राम विकास, ग्राम और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो सहकारी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकरण का या ऐसे अन्य विषय का, जिसका विशेष ज्ञान या वृत्तिक अनुभव केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के लिए उपयोगी समझा जाता है, अनुभव रखते हों ;

* * * * * *

14. (1) बोर्ड एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगा जिसमें उतने निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे जो बोर्ड की राय में कृषि, कृषिक प्रत्यय, सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग, ग्राम और कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प और अन्य ग्राम शिल्प का विशेष ज्ञान रखते हैं या जिन्हें देश की समग्र विकास नीतियों का और विशेषतया समग्र धन सम्बन्धी और प्रत्यय संबंधी नीतियों का विशेष ज्ञान और बोध है, जो बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय बैंक के लिए उपयोगी मानी जाती है । सलाहकार परिषद् ।

* * * * * *

अध्याय 6

राष्ट्रीय बैंक के प्रत्यय कृत्य

21. (1) राष्ट्रीय बैंक, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों या ऐसी किसी वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग को जो रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त अनुमोदित हैं, पुनर्वित्त पूर्ति, उधार और अग्रिमों के रूप में, जो मांग पर या अठारह मास से अनधिक की नियत अवधि के अवसान पर, प्रतिसंदेय हैं, निम्नलिखित के वित्तपोषण के लिए उपबन्ध कर सकेगा— उत्पादन और विपणन प्रत्यय ।

* * * * * *

(v) कारीगरों के या लघु उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में उद्योगों, ग्राम और कुटीर उद्योगों या उनके, जो हस्तशिल्प और अन्य ग्राम शिल्प में लगे हैं, उत्पादन या विपणन क्रियाकलाप ।

* * * * * *

23. जहां राष्ट्रीय बैंक का यह समाधान हो जाता है कि कारीगरों, लघु उद्योगों, छोटे और विकेन्द्रित सेक्टर में के उद्योगों, ग्राम और कुटीर उद्योगों और उनको जो हस्तशिल्पों और अन्य, शिल्पों के क्षेत्र में लगे हैं, किसी राज्य सहकारी बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या किसी ऐसी वित्तीय संस्था या ऐसी वित्तीय संस्थाओं के किसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा, जिसे रिजर्व बैंक इस निमित्त अनुमोदित करे, दिए गए किन्हीं उधारों और अग्रिमों का पुन: आयोजन करना अकल्पित परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है वहां, वह ऐसे बैंक या संस्था के लिए ऐसी वित्तीय सहायता का, जो वह ठीक समझे, उपबन्ध ऐसी प्रतिभूतियों पर जो राष्ट्रीय बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे उधारों और अग्रिम के रूप में कर सकेगा, जो अठारह मास से अन्यून और सात वर्ष से अनधिक की नियत अवधि के अवसान पर कारीगरों, लघु उद्योगों आदि को उधार का पुन: आयोजन ।

संदेय होंगे :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई उधार या अग्रिम किसी राज्य सहकारी बैंक को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक ऐसा उधार या अग्रिम मूलधन के प्रतिसंदाय और ब्याज के संदाय के बारे में राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: प्रत्याभूत नहीं है किन्तु जहां राष्ट्रीय बैंक के समाधानप्रद रूप में अन्य प्रतिभूति उपलब्ध है या जहां राष्ट्रीय बैंक का उसके द्वारा लिखित कारणों से यह समाधान हो जाता है कि प्रत्याभूति या अन्य प्रतिभूति आवश्यक नहीं है वहां राष्ट्रीय बैंक ऐसी प्रत्याभूति का अधित्यजन कर सकेगा ।

* * * * * *

अन्य विनिधान प्रत्यय ।

25. (1) राष्ट्रीय बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन के लिए ऐसी वित्तीय सहायता का उपबंध जो वह आवश्यक समझे निम्नलिखित द्वारा कर सकेगा—

* * * * * *

(ग) किसी राज्य सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो राष्ट्रीय बैंक अधिरोपित करना उचित समझे, ऐसे बैंक द्वारा कारीगरों, लघु उद्योगों, छोटे और विकेंद्रित सेक्टर के उद्योगों, ग्राम और कुटीर उद्योगों और उनको जो हस्तशिल्प और अन्य ग्राम शिल्प के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उधार या अग्रिम देने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उधार और अग्रिम देना और ऐसे उधारों और अग्रिमों के संदाय का पुन: आयोजन करना :

परन्तु वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए ऐसा उधार या अग्रिम, चाहे मूल रूप से या उसके संदाय का पुन: आयोजन करके दिया जा सकेगा, पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

* * * * * *

प्रतिषिद्ध कारबार ।

37क. (1) राष्ट्रीय बैंक, धारा 30 के अधीन कोई उधार या अग्रिम या इस अधिनियम के अधीन कोई अनुदान ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को नहीं देगा जिसमें राष्ट्रीय बैंक के निदेशकों में से कोई उस व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय का स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, अभिकर्ता, कर्मचारी या प्रत्याभूतिदाता है या जिसमें राष्ट्रीय बैंक के एक या अधिक निदेशक मिलकर पर्याप्त हित रखते हैं :

परंतु यह उपधारा ऐसे किसी उधार लेने वाले को लागू नहीं होगी यदि राष्ट्रीय बैंक का कोई निदेशक, यथास्थिति, ऐसे नामनिर्देशन या निर्वाचन के कारण केवल—

(क) सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा ऐसे उधार लेने वाले बोर्ड के निदेशक के रूप में नामनिदिष्ट किया जाता है ; 1956 का 1

(ख) सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा किसी उधार लेने वाले संगठन में धारित शेयरों के कारण ऐसे उधार लेने वाले बोर्ड में निर्वाचित है । 1956 का 1

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी उधार लेने वाले के संबंध में "पर्याप्त हित" से राष्ट्रीय बैंक के एक या अधिक निदेशकों द्वारा या ऐसे निदेशक के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (41) में यथापरिभाषित किसी संबंधी द्वारा, अकेले या मिलकर उधार लेने वाले के शेयरों में धारित है और जिसकी समादत्त कुल रकम पांच लाख रुपए या उधार लेने वाले की समादत्त शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से, दोनों में से, जो भी कम हो, से अधिक है ।

1956 का 1

* * * * * *

लेखा परीक्षा ।

48. (1) राष्ट्रीय बैंक के लेखाओं की लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करके ऐसी अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किए जाएंगे, जो केन्द्रीय सरकार नियत करे ।

1956 का 1

* * * * * *

निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय बैंक के साथ करार का अभिभावी होना ।

52क. (1) जहां राष्ट्रीय बैंक द्वारा उधार और अग्रिम अनुदत्त करते समय किसी कंपनी या निकाय के साथ किए गए करार में ऐसी कंपनी या निगम निकाय के एक या अधिक निदेशकों की राष्ट्रीय बैंक द्वारा नियुक्ति के लिए उपबंध है वहां ऐसे उपबंध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की कोई नियुक्ति, कंपनी अधिनियम, 1956 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या कंपनी अथवा निगम निकाय से संबंधित ज्ञापन, संगम-अनुच्छेद या किसी अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावशील होगी और पूर्वोक्त ऐसी किसी विधि या लिखत में अंतर्विष्ट शेयर अर्हता, आयु-सीमा, निदेशक-पदों की संख्या, निदेशकों के पद से हटाए जाने संबंधी कोई उपबंध और ऐसी ही समान शर्तें पूर्वोक्त करार के अनुसरण में राष्ट्रीय बैंक द्वारा नियुक्त किए गए किसी निदेशक को लागू नहीं होंगी ।

1956 का 1

* * * * * *